सत्यमेव जयते

# भारत सरकार

# परिणामी बजट

# 2016–17

# अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

# विषय–सूची


| क्रम सं. | विवरण | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| **1** | **कार्यकारी सारांश** | i-iii |
| **2** | **अध्याय–I** मंत्रालय के कार्य और संगठनात्मक संरचना | **1-7** |
| **3** | **अध्याय–II** योजनाओं/कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि | **8-14** |
| **4** | **अध्याय–III** नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय | **15-21** |
| **5** | **अध्याय–IV** पिछले कार्य–निष्पादन की समीक्षा | **22-29** |
| **6** | **अध्याय–V** वित्तीय समीक्षा | **30-38** |
| **7** | **अध्याय–VI** मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा | **39-41** |

# कार्यकारी सारांश

परिणामी बजट बजटिंग प्रक्रिया का 2005–06 से अभिन्न अंग बन गया है, जो मापनीय कार्य–निष्पादन मानदंडों के आधार पर सरकारी निधियों के आबंटन और संवितरण के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करता है। परिणामी बजट 2016–17 मुख्यतः वित्तीय बजट के वास्तविक आयामों के साथ–साथ 2014–15 में वास्तविक कार्य–निष्पादन और वर्ष 2015–16 के लिए दिसंबर तक कार्य–निष्पादन तथा 2016–17 के दौरान लक्षित वास्तविक कार्य–निष्पादन को दर्शाएगा।

2. परिणामी बजट 2016–17 में निम्नलिखित अध्याय है :

**अध्याय I** मंत्रालय के अधिदेश, लक्ष्यों, नीतिगत ढांचें, विशिष्ट कार्यों, संगठनात्मक ढांचें के साथ–साथ कार्यान्वयन अधीन प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का परिचयात्मक नोट है।

**अध्याय II**: इसमें विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित वित्तीय परिव्ययों, अनुमानित वास्तविक लक्ष्यों तथा अनुमानित परिणामों के ब्यौरों का उल्लेख सारणीबद्ध विवरण के रूप में किया गया है ताकि वित्तीय परिव्ययों और लक्षित परिणामों के बीच तारतम्य स्थापित किया जा सके।

**अध्याय III**: इसमें अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से शिक्षा, रोजगार के अवसर और उनकी रहन–सहन दशाओं में सुधार हेतु विकास योजनाओं का लाभ उन्हें समान रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की प्रमुख नीतिगत पहलों और सुधार–उपायों का उल्लेख है। इस अध्याय में मंत्रालय द्वारा विभिन्न प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत महिलाओं को विशिष्ट संसाधनों का आवंटन कराने के लिए लैंगिक समुत्थान के बारे में मंत्रालय के प्रयासों का विवरण भी दिया गया है।

**अध्याय IV**: इसमें वर्ष 2014–15 और वर्ष 2015–16 (31.12.2015 तक) के दौरान लक्ष्यों के संबंध में वास्तविक कार्य निष्पादन का योजनावार विश्लेषण किया गया है।

**अध्याय V**: इसमें हाल ही के वर्षों के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों तथा व्यय की समग्र रूझानों की विस्तृत वित्तीय समीक्षा की गई है, जिसमें बकाया उपयोग प्रमाण–पत्रों की स्थिति का भी उल्लेख है।

**अध्याय VI**: इसमें मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सांविधिक तथा स्वायत्त निकायों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की गई है।

**निगरानी तंत्रः**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वयं द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए विस्तृत बहु–स्तरीय प्रणाली विकसित की गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

क) योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना का अपना निगरानी तंत्र है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक प्रगति रिपोर्टें– जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा सबंद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/एजेंसियों/संगठनों के साथ मिलकर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा मंत्रालय द्वारा प्रति तिमाही तथा सचिवों की समिति द्वारा अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है और तत्पश्चात मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती है।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) की निगरानी जिला, राज्य और केन्द्र स्तर पर विभिन्न समितियों द्वारा की जाती हैं।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोग प्रमाण–पत्र, लेखा परीक्षित लेखे और अन्य अपेक्षित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती हैं।

छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफों से सामाजिक लेखा–परीक्षा को सुनिश्चित एवं सुविधाजनक बनाया जाता है। मंत्रालय की वेबसाइट (http//www.minorityaffairs.gov.in) पर हाइपरलिंक प्रदान किए जाते है।

<u>**लोक सूचना प्रणालीः**</u>

मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) की महत्वपूर्ण भूमिका है। मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों में जागरूकता लाने और मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु–आयामी कार्यनीति अपनाई है। इस संदर्भ में की गई विभिन्न पहलें इस प्रकार हैं –

क) देश भर में अंग्रेजी, हिन्दी, उर्दू और स्थानीय भाषाओं के समाचार–पत्रों तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं से संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करा कर प्रचार–प्रसार अभियान चलाया गया है।

ख) मंत्रालय की सभी योजनाओं/कार्यक्रमों के संदर्भ में बार–बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है।

ग) विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में पब्लिक डोमेन में सूचना का प्रसार करने के लिए योजना विवरण और कार्यान्वयन की प्रगति को मंत्रालय की वेबसाइट

**(www.minorityaffairs.gov.in)** पर उपलब्ध कराया जाता है। इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। मंत्रालय का पोर्टल योजनाओं और कार्यक्रमों, रिपोर्टों, प्रकाशनों, प्रलेखों, सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यालय परिपत्रों/सूचनाओं आदि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराता है।

घ) एक टोल फ्री हेल्पलाइन 1800–11–2001 सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9.00 बजे से सायं 6.00 बजे के बीच सभी योजनाओं के बारे में सूचना प्रदान कर रहा है।

**जेंडर विशिष्ट पहलें:**

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना और कौशल विकास पहलों (सीखो और कमाओ) के तहत वास्तविक लक्ष्य में से 30% लक्ष्य छात्राओं के लिए निर्धारित है।

अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना केवल महिलाओं के लिए है।

एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्व–सहायता समूहों के माध्यम से उनकी जरूरत के अनुसार ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त करना है।

एनएमडीएफसी की महिला समृद्धि योजना के तहत, महिलाओं को कौशल उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाता है और तत्पश्चात् आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण दिया जाता है।

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी छात्राओं को 11वीं और 12वीं कक्षा में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

## अध्याय–I

# मंत्रालय के कार्य और संगठनात्मक संरचना

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन 29 जनवरी, 2006 को अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने और अल्पसंख्यक समुदायों के लाभ के लिए समग्र नीति तैयार करने, योजना बनाने, समन्वय, विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन एवं समीक्षा तथा निगरानी तंत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की दृष्टि से किया गया था।

मंत्रालय के प्रमुख कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं जिनकी सहायता के लिए एक राज्य मंत्री है। मंत्रालय के सचिव को एक अंशकालिक संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार सहित चार संयुक्त सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। तीन संयुक्त सचिव (क) नीति और प्रशासन, (ख) छात्रवृत्ति, मीडिया तथा मूल्यांकन और योजना (ग) संस्थान, वक्फ, समन्वय का कार्य देखते हैं। उनके कार्यों में सात निदेशक/उप–सचिव सहयोग प्रदान करते हैं। मंत्रालय में स्वीकृत अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की संख्या 98 है।

## मंत्रालय के क्रियाकलाप

वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अनुदेशों के अनुसार केंद्रीय क्षेत्र की दोनों योजनागत और गैर–योजनागत योजनाएं पांच क्षेत्रों जैसे शैक्षिक सशक्तिकरण, कौशल विकास, अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम, स्वयत्त निकायों को अनुदान तथा अल्पसंख्यकों का विकास–बहु क्षेत्री विकास कार्यक्रम में विभाजित की गई है।

### क. शैक्षिक सशक्तिकरण

### (i) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तिः

मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/संस्थानों में कक्षा I से कक्षा X तक की शिक्षा के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित है। इस योजना की शुरूआत दिनांक 01.04.2008 को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में की गई थी जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 75:25 है। 2014–15 से 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ यह योजना केंद्र क्षेत्र की योजना बनाई गई है।

### (ii) अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तिः

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अल्पसंख्यक समुदाय के उन छात्रों को प्रदान की जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त सरकारी एवं निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में XI कक्षा से पी.एच.डी तक की भारत में शिक्षा के लिए तथा XI और XII कक्षा के स्तर की तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शिक्षा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्रों (राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद से संबद्ध) से प्राप्त करने के लिए मानदंड को पूरा करते हों। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। यह योजना 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ नवंबर 2007 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में शुरू की गई थी।

**(iii) व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति :**

यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक समुदायों के उन छात्रों को दी जाती है, जो समुचित प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं। 30% छात्रवृत्तियां छात्राओं के लिए निर्धारित हैं। इस योजना की शुरूआत 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में जून, 2007 में हुई थी।

**(iv) निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजनाः**

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं/चयन प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार और प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिला प्राप्त करने के लिए उनके ज्ञान और क्षमताओं को बढ़ाने के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए संस्थानों में सुधारात्मक कोचिंग भी उपलब्ध करायी जाती है। यह योजना चुनिन्दा कोचिंग संस्थानों को 100% केन्द्रीय सहायता से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित की जाती है। योजना के तहत लक्ष्य का 30% भाग छात्राओं के लिए निर्धारित है।

वित्त वर्ष 2013–14 से, विज्ञान विषयों (पीसीबी/पीसीएम) के साथ 11वीं और 12वीं कक्षा में अभिकेंद्रित तैयारी के लिए इस योजना में प्रायोगिक आधार पर एक नया घटक शामिल किया गया है। 2014–15 के दौरान, 6 चिन्हित राज्यों में 9 स्कूलों/कॉलेजों के लिए 1450 छात्रों के लिए अनुदान पहले ही जारी किए गए हैं। नए घटक के अंतर्गत प्रति छात्र वित्तीय सहायता की दर 1.00 लाख रु0 प्रतिवर्ष तक है।

**(v) संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता :**

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों, जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), राज्य लोक सेवा आयोगों (पीएससी) आदि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली हैं, को सरकारी सेवाओं में उनके प्रतिनिधित्व में सुधार लाने की दृष्टि से उन्हें सहायता प्रदान करना है। उपर्युक्त उल्लिखित सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात की तुलना में बहुत कम है। यह योजना संभावित अभ्यर्थियों तक पहुंचने के लिए अभिकेंद्रित हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के लिए है। इसका अभिप्राय पात्र अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

**(vi) 'पढ़ो परदेश' योजना के अधीन अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदादः**

विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के माध्यम से वित्तीय सहातया उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना को वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित किया गया है।

**(vii) अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति**

इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम०फिल० तथा पी०एचडी० जैसी उच्चतर शिक्षा ग्रहण करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में अध्येतावृत्ति प्रदान करना है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) तथा धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों को शामिल किया गया है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से इस मंत्रालय द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एम०फिल० तथा पी०एचडी० पाठ्यक्रम कर रहे शोध छात्रों को प्रदत्त यू०जी०सी० अध्येतावृत्ति की तर्ज पर प्रदान की जाती है। अध्येतावृत्ति का 30% महिला शोधकर्ताओं के लिए निर्धारित हैं।

**ख. <u>कौशल विकास</u>**

**(i) विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद):**

"उस्ताद (विकास के लिए पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन)" नामक योजना अल्पसंख्यकों की परंपरागत कलाओं/शिल्पों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए 2014–15 के दौरान, अनुमोदित की गई है। योजना की औपचारिक शुरूआत 14 मई, 2015 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य मास्टर शिल्पकारों/कारीगरों की क्षमता का निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अद्यतन करना; पहचानी गई पारंपरिक कलाओं/शिल्पों का प्रलेखन करना; पारंपरिक कौशलों के लिए मानक स्थापित करना मास्टर शिल्पकारों के जरिए पहचानी गई विभिन्न पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में अल्पसंख्यक युवकों को प्रशिक्षण देना और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ संबंध स्थापित करना है। मंत्रालय ने डिजाइन सहायता; उत्पाद रेंज़ विकास; पैकेजिंग; प्रदर्शनियों, फैशन शो और प्रचार; बिक्री बढ़ाने के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों से जुड़ने; और ब्रांड निर्माण के लिए विभिन्न कलस्टरों में काम करने के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफटी), राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (एनआईडी) और राष्ट्रीय पैकेज़िग संस्थान(आईआईपी) को ज्ञान भागीदारों के रूप में संबद्ध किया है।

## (ii) नई मंजिल

मंत्रालय ने 2015–16 के दौरान,एक नई योजना 'नई मंजिल' तैयार करके 8 अगस्त, 2015 को उसका शुभारंभ किया था। यह एकीकृत शिक्षा एवं आजीविका पहल है। इस योजना से उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचेगा जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र नहीं है, अर्थात् जो स्कूल ड्राप आऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, ताकि वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाश करने में सक्षम हो सकें और इस प्रकार उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा सके। सरकार ने 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ योजना का अनुमोदन किया है। 50% वित्त–पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाना है। विश्व बैंक ने 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त पोषण अनुमोदित कर दिया है। 2016–17 के बजट अनुमान में 155 करोड़ की राशि आबंटित की गई है।

**(iii) कौशल विकास पहलें – "सीखो और कमाओ"**

सीखो और कमाओ (Learn & Earn), कौशल विकास पहल, अल्पसंख्यक युवकों के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है। योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं को उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक रूझान एवं बाजार की क्षमता के आधार पर उनके कौशलों का उन्नयन करना है, जिससे उन्हें

उचित रोजगार मिलेगा अथवा वे स्व–रोजगार के लिए उपयुक्त रूप से कुशल हो सकेंगे। यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है जिसमें से कम से कम 50% संगठित क्षेत्र में होता है। प्लेसमेंट के पश्चात् एक वर्ष तक प्रशिक्षार्थियों की ट्रैकिंग अनिवार्य है।

## ग. अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रमः

### (i) हमारी धरोहर :

भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए मंत्रालय ने 2014–15 में **"हमारी धरोहर"** नामक एक योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य आइकोनिक प्रदर्शनियों की क्यूरेटिंग, खुशनवीसी का समर्थन, पुराने दस्तावेजों का संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, आदि है। सरकार ने पारसियों की आइकोनिक प्रदर्शनियों अर्थात 2015–16 के दौरान पारसियों की सभ्यता एवं संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए **"द एवरलास्टिंग फ्लेम"** को सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। इसमें पारसी सभ्यता पर तीन चलती–फिरती प्रदर्शनियां अर्थात 'द एवरलास्टिंग फ्लेम', 'थ्रेड्स ऑफ कन्टिन्यूइटी' और 'पेंटेड एनकाउन्टर्सः पारसी ट्रेड्स और समुदाय' शामिल है जो मार्च–मई 2016 में राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित की जाएंगी। मंत्रालय ने अरबी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने, चिकित्सा, गणित, साहित्य आदि विषयों पर मुगल अवधि से संबंधित 240 मूल्यवान दस्तावेजों के डिजीटीकरण और पुनर्मुद्रण के लिए दैरातुल मारिफिल ओसमानिया (1888 ई0 में स्थापित एक संस्थान) को एक परियोजना स्वीकृत की है।

### (ii) लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना

लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की आबादी जनगणना आबादी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1941 में 1,14,000 थी, जो घट कर वर्ष 2001 में 69,000 रह गयी। लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी तथा आबादी में गिरावट के रूझान को नियंत्रित करने के उद्देश्य से यह योजना बनायी गई है और वर्ष 2013–14 के दौरान इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। अब तक, चिकित्सा सहायता से 34 शिशु पैदा हुए हैं।

### (iii) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना

इस योजना का लक्ष्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंको और मध्यस्थों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं तकनीकें उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्त करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें।

### (iv) प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकनः

इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान अध्ययनों के माध्यम से अल्पसंख्यकों की समस्याओं और आवश्यकताओं के बारे में सूचना और डाटा–बेस सृजित करना, आधारभूत सर्वेक्षणों के माध्यम से विकास में कमी के बारे मे सूचना एकत्र करना, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की समवर्ती निगरानी करना, अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं/कार्यक्रमों और पहलों के बारे में जागरुकता सृजित करने के लिए सूचना के प्रसार हेतु वार्षिक मीडिया योजना बनाना और मल्टी–मीडिया अभियान चलाना, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री के नए

15–सूत्रीय कार्यक्रम का व्यापक रूप में प्रचार–प्रसार करना और बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी), तथा अल्पसंख्यकों से संबंधित विषयों पर कार्यशालाओं/विचार गोष्ठियों के आयोजन में सहायता देना है।

## घ. <u>स्वायत्त निकायों को अनुदान</u>

### (i) मौलाना आजाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान :

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है, जो शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत है। प्रतिष्ठान सरकार से अपनी समग्र निधि में सहायता–अनुदान प्राप्त करता है और समग्र निधि पर कमाए गए ब्याज से योजनाओं को कार्यान्वित करता है (इस समय 1136.00 करोड़ रु0)। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं – गैर–सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे शैक्षिक संस्थानों के विस्तार और उन्नयन के लिए सहायता–अनुदान और 11वीं तथा 12वीं कक्षा में अध्ययनरत् अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना।

### (ii) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को इक्विटी अंशदान :

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदायों के पिछड़े वर्गों के मध्य अपनी सावधि ऋण और लघु–वित्तपोषण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों को बढ़ावा देने में कार्यरत है। निगम को अपनी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शेयर पूंजी उपलब्ध करायी जाती है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी 10 फरवरी, 2015 को 1,500 करोड़ से बढ़ाकर 3,000 करोड़ कर दी गई है। केंद्र, राज्यों और व्यक्ति/संस्थान के बीच शेयर धारण करने का तरीका संशोधित करके 73:26:1 किया गया है।

एनएमडीएफसी सावधि ऋण, लघु वित्त और शैक्षिक ऋण प्रदान करता है। महिला उद्यमियों के लिए महिला समृद्धि योजना नामक लघु वित्त की एक विशेष योजना है। एनएमडीएफसी की लघु वित्त योजनाओं का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को गैर–सरकारी संगठनों/स्वःसहायता समूहों के माध्यम से उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप ऋण सहायता उपलब्ध करा कर उन्हें सशक्त बनाना है। एनएमडीएफसी महिला समृद्धि योजना का कार्यान्वयन भी करता है। इस योजना के तहत महिलाओं उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करके आय सृजक कार्यों के लिए रियायती ब्याज दर पर लघु ऋण दिया जाता है।

### (iii) एनएमडीएफसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदानः

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अपने कार्यों का संचालन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से करता है। इन राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को अपने कार्य को प्रभावी ढंग से निष्पादित करने के क्रम में अवसंरचना, श्रमशक्ति और संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ता है और उनको अपनी क्षमता और कार्य प्रणाली क्षमता को सुदृढ़ करने हेतु सहायता–अनुदान दिया जाता है। संशोधित योजना के तहत, केंद्र सरकार द्वारा एससीए को 100% अंशदान उनके कार्य–निष्पादन के आधार पर प्रदान किया जाता है।

**(iv) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण और राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरणः**

इस योजना के तहत, राज्य/संघ राज्य वक्फ बोर्डों को वक्फ रिकार्डों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। योजना का कार्यान्वयन केंद्रीय वक्फ़ परिषद के माध्यम से किया जाता है। केंद्रीकृत कम्प्यूटिंग सुविधाएं (सीसीएफ) स्थापित करने के लिए 27 राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता–अनुदान जारी किए गए हैं। 27 राज्य वक्फ़ बोर्डों में सीसीएफ स्थापित कर लिए गए हैं। 30 नवंबर, 2015 तक, भारतीय वक्फ़ प्रबंधन प्रणाली (वामसी) पंजीकरण मॉड्यूल में 4,24,993 वक्फ़ संपत्तियों की प्रवृष्टि कर ली गई है। इसके अलावा, राज्य वक्फ़ बोर्डों, सीडब्ल्यूसी और एनआईसी को योजना के प्रारंभ से 19.18 करोड़ रु0 जारी किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2014–15 के दौरान, 3.00 करोड़ रु0 की राशि शामिल है। इस योजना के अधीन वर्ष 2015–16 के लिए बजट अनुमान 3.00 करोड़ रु0 है।

राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना स्कीम बनाई गई है ताकि वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ किया जा सके और इसके परिणामस्वरूप वक्फ संपत्तियों का अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही प्रशासन और प्रबंधन होगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आय–सृजन में सुधार होगा। इससे उनके प्रवर्तन स्कंध को सुदृढ़ करके वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण को हटाने में उन्हें मदद मिलेगी। केंद्रीय सहायता 12वीं योजना अवधि अर्थात् उस अवधि के दौरान जब राज्य वक्फ बोर्डों के बेशी आय सृजन के साथ आत्मनिर्भन बन जाने की उम्मीद है, के दौरान मुहैया कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी निधियां कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की जाएंगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली और संस्थागत क्षमता से उनके आय सृजन में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं। उनकी क्षमताओं में सुधार से उनकी आय वृद्धि में सुधार होगा जिससे बाह्य वित्तीय सहायता पर उनकी निर्भरता कम होती जाएगी और समय के साथ समाप्त हो जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। अतः, केंद्रीय सहायता मंत्रालय द्वारा नावाडको को प्रदान की जाएगी जो बाद में निधियों को राज्य वक्फ बोर्डों को उनके विधि और लेखा अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागतों के लिए जारी की जाएगी। वक्फ संपत्तियों से गैर–कानूनी अतिक्रमण को हटाने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने और जीआईएस मैपिंग के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी।

**(v) भाषाजात अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारीः**

राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 350–ख, जो संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आया, के प्रावधानों के अनुसरण में भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350–ख के अनुसार भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाजात अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। भाषाजात अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक की जुलाई, 2013 से जून, 2014 की अवधि के लिए 51वीं रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 09–12–2015 और 08–12–2015 को रखी गई थी।

## ङ. अल्पसंख्यकों का विकास– बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम

### (i) बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी):

अल्पसंख्यक बहुल जिलों की अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता और सामाजिक–आर्थिक तथा बुनियादी सुविधाएं संकेतकों के अर्थों में सापेक्ष रूप में पिछड़ेपन के आधार पर वर्ष 2007 में पहचान की गई थी। इस तरह बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में वर्ष 2008–09 में शुरू किया गया था। एमएसडीपी का उद्देश्य पहचाने गए अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में विकास की कमी को पूरा करना है। इसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यमों से कार्यान्वित किया जाता है।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, योजना की ईकाई को जिला के बजाय बदलकर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में 12वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु 196 जिलों में आने वाले 710 ब्लॉकों और 66 कस्बों को चिन्हित किया गया है। इसके अलावा, अल्पसंख्यक बहुल गांव (कम–से–कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले) के निकटस्थ 13 ग्राम समूह पर भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

# अध्याय–II

## योजनाओं / कार्यक्रमों के उद्देश्य, परिव्यय, वास्तविक निर्गम और परिणाम आदि

वर्ना 2016-17 के लिए 3800 करोड़ रु0 का योजनागत बजटीय प्रावधान है । केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं अर्थात (i) मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता-अनुदान (ii) मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, (iii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, (iii) मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति (iv) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना (vi) अल्पसंख्यकों हेतु प्रचार सहित विकास योजनाओं का अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन (vii) एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान (viii) एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान (ix) अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (x) राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (xi) अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना और (xii) विदेशों में अध्ययनरत् छात्रों के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता (xiii) छोटे अल्पसंख्यक समुदायों की घटती आबादी को नियंत्रित करने की योजना (xiv) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण (xv) कौशल विकास संबंधी पहलें और (xvi) यूपीएससी, एसएससी, राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की सहायता (xvii) विकास के लिए पारंपरिक कलाओं / शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) (xviii) हमारी धरोहर (xix) नई मंजिल योजना आदि के लिए 2675 करोड़ रु0 उपलब्ध कराए गए हैं और अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना अर्थात बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए 1125 करोड़ रु0 प्रदान किये गयें हैं। वर्ष 2016–17 के लिए गैर–योजनागत के अधीन दो योजनाओं के लिए 3.18 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है (वक्फों को सहायता–अनुदान की योजना के लिए 3.15 करोड़ रु0 और केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान के लिए 0.03 करोड रु0)। वर्ष 2016–17 के दौरान प्रत्येक योजना / कार्यक्रम के लिए मात्रा निर्धारण, वास्तविक उपलब्धियां, वास्तविक लक्ष्य, अनुमानित परिणाम और समय सीमा संबंधी ब्यौरे नीचे की सारणी में दर्शाए गए हैं :–

**परिणामी बजट 2016–17 (रु0 करोड़ में)**

| क्रम सं0 | योजना / कार्यक्रम का नाम | उद्देश्य / परिणाम | परिव्यय 2016–17 (करोड़ रु0 में) | | | मात्रा निर्धारण / वास्तविक उपलब्धि | अनुमानित परिणाम | प्रक्रिया / समय सीमा | टिप्पणियां / जोखिमपूर्ण तथ्य |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| | | | गैर–योजनागत बजट | योजनागत बजट | अनुपूरक अतिरिक्त बजटीय संसाधन | | | | |
| | **केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)** | | | | | | | | |
| 1 | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान | अल्पसंख्यकों के मध्य कमजोर वर्ग में शिक्षा को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ब्याज | – | 113.00 | – | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान की संचित निधि के लिए 113 करोड़ रु0 जारी किया जाना। | 50,000 छात्रवृत्तियां तथा 200 शिक्षा संस्थानों को गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से | वर्ना 2016-17 के दौरान | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान द्वारा निवेशित राशि पर उपलब्ध ब्याज |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| | | अर्जन हेतु प्रति-ठान की संचित निधि में वृद्धि किए जाने हेतु। | | | | | अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित संस्थानों के अवसंरचना विकास और शैक्षिक अवसंरचना के साथ–साथ महिला साक्षरता में भी सुधार लाया जा सकेगा। | | दर में गिरावट की स्थिति में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिष्ठान की आय पर्याप्त नहीं होगी। |
| 2 | अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना | अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने हेतु तथा व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अपना ज्ञान और कौशल बढ़ाने के लिए कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सहायता। | – | 45.00 | – | 7000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता | 6000 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को उनके ज्ञान और कौशल में वृद्धि करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिलों में वृद्धि की जा सके।<br><br>इसके अतिरिक्त, 1500 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को विज्ञान विषय के साथ कक्षा 11वीं और 12वीं में अभिकेंद्रित तैयारी प्रदान की जाएगी। | वर्ष 2016–17 के दौरान | – |
| 3 | प्रचार सहित विकास योजनाओं का अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन | अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्यान्वित योजना और कार्यक्रमों की निगरानी करना और अनुसंधान अध्ययन करना। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं से संबंधित सूचनाओं का प्रचार और प्रसार करना। | – | 45.00 | – | समाचार–पत्रों और इलेक्ट्रोनिक मीडिया में विज्ञापन जारी किया जाना। योजनाओं से संबंधित अनुसंधान/प्रभाव अध्ययन कराना। योजनाओं/ कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन। | अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं का प्रचार–प्रसार लक्षित वर्ग के मध्य करना और उनमें जागरूकता लाना। अनुसंधान/ प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन और समवर्ती निगरानी कार्य किया जाना। | अनुमोदित मीडिया प्लान के अनुसार वर्ष 2016–17 के दौरान | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| 4 | एनएमडीएफसी को इक्विटी अंशदान | अल्पसंख्यकों को स्वरोजगार और अन्य उद्यमों के लिए रियायती ऋण देने हेतु एनएमडीएफसी को सक्षम बनाने के लिए इसकी इक्विटी में अंशदान। | – | 140.00 | – | इक्विटी अंशदान के रूप में 140.00 करोड़ रूपए | अधिसूचित अल्पसंख्यकों के लिए एनएमडीएफसी की रियायती ऋण योजना की पहुंच का दायरा बढ़ाया जाएगा। | व-र्ा 2016-17 के दौरान | निम्नलिखित कारणों से लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बाधा आ सकती है– 1. यदि इक्विटी के मद में राज्य सरकार का योगदान प्राप्त नहीं होता है। 2. यदि राज्य सरकारी गारंटी नहीं देते हैं। 3. यदि वितरित ऋण की वसूली कम होती है; 4. यदि राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं कर रही हैं। |
| 5 | एनएमडीएफसी के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को सहायता- अनुदान | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों की श्रमशक्ति और संसाधनों की अवसंरचना को सुदृढ़ करना ताकि एजेंसियां ऋण देने का कार्य प्रभावी ढंग से कर सकें | - | 2.00 | - | राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य चैनेलाईजिंग एजेंसियों की अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए। | राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों द्वारा ऋण लेन-देन कार्य में सुधार होने की संभावना है | वर्ष 2016–17 के दौरान | परिणाम की उपलब्धि बाधित होगी यदि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां कार्य नहीं करती हैं। |
| 6. | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को एम0 फिल और पी0एचडी के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए। | - | 80.00 | - | 756 नई अध्येतावृत्तियां और नवीनीकरण | इससे अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के शैक्षिक निष्पादन और अनुसंधान संबंधी योग्यता में सुधार आयेगा। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| 7. | राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण | राज्य वक्फ बोर्डों को उनके अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण के लिए वित्तीय सहायता | - | 3.30 | - | 30 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों को शामिल करना। | वक्फ संपत्तियों के सभी अभिलेखों का वामसी के सभी 4 मॉड्यूलों में कम्प्यूटरीकरण और वक्फ अभिलेखों का डिजिटीकरण। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 8. | अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना | एक ही गांव/कॉलोनी में रहने वाली अन्य समुदायों की पड़ोसी महिलाओं सहित अल्पसंख्यक महिलाओं को ज्ञान, उपकरण और तकनीकें प्रदान करते हुए सशक्त बनाना और उनमें आत्मविश्वास पैदा करना ताकि ये सभी स्तरों पर सरकारी प्रणालियों, बैंकों और अन्य संस्थानों के साथ पारस्परिक कार्रवाई कर सकें। | - | 15.00 | - | गैर–अल्पसंख्यक समुदायों से 25% महिलाओं सहित 40,000 अल्पसंख्यक महिलाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण। | सरकारी कार्यक्रमों और अन्य संस्थानों के लाभों तक पहुंच बनाने के लिए नेतृत्व की भूमिका लेने हेतु अल्पसंख्यक महिलाओं का सशक्तिकरण। | वर्ष 2016–17 के दौरान | प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वसनीय संगठनों/संस्थानों की पहचान और उनका सत्यापन। |
| 9. | विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता | विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर ब्याज सहायता के तौर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना। | – | 4.00 | – | 100 विद्यार्थियों को कवर किया गया। | विदेशों में उच्च शिक्षा में अध्ययन कर रहे अल्पसंख्यक छात्रों के परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को कम करना। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 10. | लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना | लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की घटती आबादी को नियंत्रित करना। | – | 2.00 | – | परिमाप्य नहीं | लघु अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् पारसियों की घटती आबादी को नियंत्रित किया जाएगा। | वर्ष 2016–2017 के दौरान | |
| 11. | राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण | राज्य वक्फ बोर्डों को उनके कार्य–निष्पादन एवं क्षमता में सुधार लाने के लिए उनको सुदृढ़ीकरण | – | 9.70 | – | 30 वक्फ बोर्ड कवर किये जाएंगे | निर्धन मुस्लिमों हेतु कल्याणकारी कार्यों के लिए वक्फ संपत्तियों से अतिरिक्त निधियों का अधिक सृजन | वर्ष 2016–17 के दौरान | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हेतु वित्तीय सहायता। | | | | | और राज्य वक्फ बोर्डों का उन्नत कार्यकरण | | |
| 12. | कौशल विकास पहल | रोजगार और जीविकोपार्जन में वृद्धि करने के लिए कौशल और कौशल–उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना। | – | 210.00 | – | 1,15,000 अल्पसंख्यक युवा | अल्पसंख्यक समुदायों को दक्षता तथा उन्नत–दक्षता प्रशिक्षण प्रदान करना ताकि उन्हें शीर्षस्थ और समस्तरीय गतिशीलता और जीवनपर्यंत अध्ययन अवसर मिले, जिससे वे आर्थिक दृष्टि से सशक्त हों। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 13. | यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता। | प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। | – | 4.00 | – | 800 लाभार्थी | सिविल सेवाओं में अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधित्व में सुधार लाना। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 14. | अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति | छात्रों को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की शिक्षा के लिए सक्षम बनाना। | - | 335.00 | - | नवीकरण के अतिरिक्त 60,000 नई छात्रवृत्तियां | तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करने से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र रोजगार अवसर का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा ऐसे पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक छात्रों को प्रोत्साहित किया जा सकेगा। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 15. | अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति | अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित माता–पिताओं को उनके स्कूल जाने वाले छात्रों पर पड़ने वाले उनके वित्तीय भार को कम करने के लिए तथा उन्हें स्कूली शिक्षा पूरी करने के उनके प्रयासों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करना। | - | 931.00 | - | नवीकरण के अतिरिक्त 30 लाख नई छात्रवृत्तियां | छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे अल्पसंख्यक समुदायों की साक्षरता दर में सुधार भी लाया जा सकेगा। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 4 (i) | 4 (ii) | 4 (iii) | | | | |
| 16. | अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | उच्चत्तर शिक्षा हेतु बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति में वृद्धि करना और उनकी रोजगारपरकता बढ़ाना। | - | 550.00 | - | नवीकरण के अतिरिक्त 5 लाख नई छात्रवृत्तियां | छात्रवृत्तियां प्रदान करने के माध्यम से छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने और शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। इससे उनकी रोजगार संबंधी संभावनों में सुधार लाया जा सकेगा। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 17. | विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) | सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों का क्षमता–निर्माण करना तथा उनके पारम्परिक कौशलों को अद्यतन बनाना होगा। ये प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पी/कारीगर अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न विशिष्ट पारम्परिक कलाओं/शिल्पों का प्रशिक्षण देंगे। | - | 20.0 | – | डिजाइन विकास और उत्पाद रेंज विकास में सहायता के लिए 30 कलस्टरों की पहचान की जाएगी। | अल्पसंख्यकों की परंपरागत कलाओं और शिल्पों की समृद्ध विरासत का संरक्षण सुनिश्चित करना। हाशिए पर आए अल्पसंख्यकों की बेहतर जीविका साधन सृजित करना और उन्हें मुख्य धारा में लाना। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 18 | हमारी धरोहर | भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के अंतर्गत क्यूरेटिंग आइकोनिक प्रदर्शनियों, भाषा समर्थित कैलिग्राफी का संरक्षण और संवर्धन तथा संबंधित शिल्पों, अनुसंधान और विकास के लिए भारत के अल्पसंख्यक समुदायों की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। | - | 11.00 | – | 2 परियोजनाएं | आईकॉनिक प्रदर्शनियों, मौखिक परंपराओं/कलारूपों का अभिलेखन, भाषा समर्थित कैलिग्राफी तथा संबंधित शिल्पों सहित क्यूरेटिंग प्रदर्शिनियों को सुनिश्चित करना, अनुसंधान तथा विकास के लिए अध्येतावृत्ति प्रदान करना। | वर्ष 2016–17 के दौरान | योजना चुनिंदा हस्तक्षेप के लिए है अतः परिणाम एक वर्ष में प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है। |
| 19 | नई मंजिल | इस योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचाना है जो स्कूल ड्राप आऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा | - | 155.00 | – | नई योजना। अभी प्रमात्रा निर्धारित की जानी है। | | वर्ष 2016–17 के दौरान | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, ताकि वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाश करने में सक्षम हो सकें। | | | | | | | |
| **केंद्रीय प्रायोजित योजना (सीएसएस)** | | | | | | | | | |
| 20 | बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) | पहचाने गए अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों/नगरों (एमसीबी/एमसीटी) में सामाजिक–आर्थिक स्थितियों और बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में विकास की कमी को पूरा करना। | - | 1125.00 | - | अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉकों (एमसीबी)/नगरों आदि की परियोजनाओं के अनुमोदन पर विचार करना और परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निधियां जारी करना। | सामाजिक–आर्थिक और आधारभूत सुविधा मानदंडों जैसे साक्षरता, कार्य भागीदारी, आवास, पेय जल आपूर्ति, शौचालय, प्रकाश आदि की स्थिति में सुधार लाना। | वर्ष 2016–17 के दौरान | लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा योजना प्रस्तावों को भेजे जाने तथा स्वीकृत कार्यक्रमों को समय पर कार्यान्वित करने पर निर्भर है। |
| **गैर–योजनागत योजनाएं** | | | | | | | | | |
| 21 | वक्फों को सहायता– अनुदान | शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता | 3.15 | – | – | अधिक आय सृजन के लिए वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक आधार पर विकसित किया जाना। | शहरी क्षेत्रों में स्थित वक्फ संपत्तियों के विकास के जरिए वक्फ संपत्तियों से आय बढ़ाना। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |
| 22. | केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान | केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता | 0.03 | – | – | केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। | केन्द्रीय वक्फ परिषद की कार्य प्रणाली में सुधार। योजना अभी तैयार की जानी है। | वर्ष 2016–17 के दौरान | |

# अध्याय–III

## नीतिगत पहलें और सुधार के उपाय

## नीतिगत पहलें

रा-ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) के अनुसार 6 समुदायों अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये अल्पसंख्यक समुदाय कुल जनसंख्या का 19.32 प्रतिशत हैं। इस मंत्रालय ने अल्पसंख्यकों के विकास से जुड़े लाभों, विशे-नकर शिक्षा, रोजगार के अवसरों और जीवन स्तर में सुधार से जुड़ी विकासात्मक योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक वर्ग तक समान रूप से पहुंचाने की दिशा में नीतिगत पहलें की है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:–

### (i) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री का नया 15–सूत्री कार्यक्रम

अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम के उद्देश्य हैं (क) शिक्षा के अवसरों में वृद्धि करना, (ख) वर्तमान और नई योजनाओं के माध्यम से तथा स्वरोजगार के लिए ऋण सहायता में वृद्धि कर आर्थिक गतिविधियों और रोजगार में अल्पसंख्यकों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना तथा राज्य और केन्द्र सरकार की नौकरियों में भर्ती, (ग) अवसंरचना विकास से जुड़ी योजनाओं में अल्पसंख्यकों की समुचित भागीदारी सुनिश्चित कर उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, और (घ) सांप्रदायिक असामंजस्य और हिंसा की रोकथाम और नियंत्रण।

नए कार्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शोषित वर्गों के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदायों के वंचित वर्गों तक पहुंचे। अल्पसंख्यकों को इन योजनाओं का लाभ एक समान पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए इस नए कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि विकास से जुड़ी परियोजना का कुछ भाग अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों के लिए निर्धारित किया जाए। नए कार्यक्रम में यह भी प्रावधान है कि विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों और परिव्ययों में से यथासंभव 15% अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित किया जाए।

### (ii) शैक्षिक सशक्तिकरण

(क) मंत्रालय ने विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं नामतः मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर, मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्तियों और मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियों के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के शैक्षिक शक्तिकरण पर बल दिया है। मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) अवसंरचनात्मक सुविधाओं आदि में सुधार के लिए तथा कक्षा XI और XII

में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदायां की मेधावी छात्राओं को छात्रवृत्तियों के लिए अनुदान प्रदान करता है।

(ख) 'पढ़ो परदेश – विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋण पर आर्थिक इमदाद' योजना के अंतर्गत विदेशों में उच्च अध्ययनों के लिए ब्याज इमदाद प्रदान किया जाता है।

### (iii) रोजगार के अवसर

(क) "**उस्ताद** (विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन)" नामक एक नई योजना हमारे देश की परंपरागत कलाओं और शिल्पों के समृद्ध विरासत को संरक्षित करने तथा अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित परंपरागत दस्तकारों/शिल्कारों के क्षमता निर्माण के लिए 14 मई, 2015 को शुरू की गई है। प्रशिक्षित सिद्धहस्त शिल्पियों/कारीगरों को अल्पसंख्यक युवाओं को विभिन्न पारम्परिक कलाओं/शिल्पों विशेषकर मृतप्राय कलाओं और शिल्पों के प्रशिक्षण में लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, योजना का उद्देश्य पारंपरिक कलाओं और शिल्पों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजरों के साथ संबंध स्थापित करना तथा श्रम मर्यादा सुनिश्चित करना है। हाल ही में, मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन(एनआईडी), नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलोजी (एनआईएफटी) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेज़िंग (आईआईपी) को ज्ञान भागीदार के रूप में लगाया है। ये ज्ञान भागीदार अल्पसंख्यक समूहों में परंपरागत कलाओं/शिल्पों को संरक्षित और विकसित करने के उद्देश्य से (क) डिजाइन हस्तक्षेप, (ख) उत्पाद रेंज विकास, (ग) पैकेजिंग, (घ) प्रदर्शनियों, फैशन शो तथा मीडिया के माध्यम से प्रचार, (ङ) अभिवृद्धित बिक्री के लिए ई–मार्केटिंग पोर्टलों के साथ टाईंग–अप तथा (च) ब्रैंड बिल्डिंग के लिए हस्तक्षेप करेंगे।

(ख) मौलाना आजाद राष्ट्रीय कौशल अकादमी (मानस) की स्थापना देश में अल्पसंख्यक समुदायों के सभी रूपों में कौशल विकास/कौशल उन्नयन की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक एकीकृत तथा समन्वित संस्थागत व्यवस्था प्रदान करने के लिए 11.11.2014 को एनएमडीएफसी (अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) द्वारा एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) के रूप में की गई इस अकादमी ने बाजार मांग द्वारा निर्धारित अल्पसंख्यक आबादी के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु पीपीपी मॉडल पर आधारित उद्यमिता और कौशल विकास कार्यक्रम (ईएंडएसडीपी) के लिए एक अखिल भारतीय स्तर का प्रशिक्षण फ्रेमवर्क स्थापित किया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य कम से कम 80% प्रशिक्षणार्थियों के लिए स्व–रोजगार और उद्यमिता पर विशेष जोर देते हुए स्व/मजदूरी रोजगार सुनिश्चित करना है। यह मदरसों में नामांकित बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एनएमडीएफसी और अन्य वित्तीय संस्थानों से प्रशिक्षणार्थियों के लिए रियायती ऋण लिंकेज प्रदान करके किया जाता है।

मानस ने मानस के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कौशल विकास के साथ मदरसों/मकतबों/मॉनॉस्ट्रि जैसे अल्पसंख्यकों के परंपरागत शैक्षिक संस्थानों के एकीकरण की एक अभिनव योजना की शुरूआत की है। इस पहल के अंतर्गत मानस स्थानीय क्षेत्रों में मदरसों के विद्यार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य सदस्यों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के

लिए मदरसों जैसे अल्पसंख्यकों के परंपरागत शैक्षणिक संस्थाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करता है। चुने गए कौशल सेट कुशल जनशक्ति के लिए स्थानीय बाजार की मांग के आधार पर होते हैं।

(ग) एक नई योजना **'नई मंजिल'** का शुभारंभ 8 अगस्त, 2015 को किया है। इस योजना से उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुंचेगा जिनके पास औपचारिक रूप से स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र नहीं है, अर्थात् जो स्कूल ड्राप आऊट्स की श्रेणी में आते हैं अथवा मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षा संस्थानों में पढ़े हैं, ताकि वे संगठित क्षेत्र में बेहतर रोजगार तलाश करने में सक्षम हो सकें और इस प्रकार उन्हें बेहतर जीवन जीने के लिए समर्थ बनाया जा सके। सरकार ने 5 वर्षों के लिए 650 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत के साथ योजना का अनुमोदन किया है। 50% वित्त–पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाना है। विश्व बैंक ने 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का वित्त पोषण अनुमोदित कर दिया है।

(घ) केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की अधिकृत शेयर पूंजी दिनांक 10.02.2015 को 1500 करोड़ रु0 से बढ़ाकर 3000 करोड़ रु0 कर दिया है। एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि और संशोधित शेयर धारिता स्वरूप से, केंद्र सरकार एनएमडीएफसी की अपनी शेयर पूंजी अंशदान करने की स्थिति में है और एनएमडीएफसी स्व–रोजगार के लिए ऋण योजनाओं हेतु अधिक निधियां प्रदान करने की स्थिति में होगा।

(ङ) सीखो और कमाओ (Learn & Earn) गरीब अल्पसंख्यक युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ी कौशल विकास योजना है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आधुनिक/परंपरागत ट्रेडों में कौशलों को उन्नत करना है जो उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक प्रवृत्ति और बाजार संभाव्यता पर आधारित होगी, जिससे उन्हें समुचित रोजगार मिल सकेगा अथवा वे स्व–रोजगार करने के लिए कुशल हो सकेंगे। यह योजना न्यूनतम 75% प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करती है, जिसमें से कम से कम 50% संगठित क्षेत्र में हो। मंत्रालय द्वारा कौशल विकास योजना "सीखो और कमाओ" के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली(एमआईएस) शुरू की गई है। इस पोर्टल में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (पीआईए), प्रशिक्षणार्थियों प्रशिक्षणों के स्थान उनके प्लेसमेंट और प्लेसमेंट पश्चात् ट्रेकिंग को रखा जाता है। इससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और कारगरता आएगी।

(च) निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजना में प्रशिक्षण को कवर करने और इसके प्रभाव में सुधार लाने के लिए इसमें संशोधन किया गया है तथा प्रशिक्षण को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत 30% लाभ बालिकाओं के लिए निर्धारित है।

### (iv) क्षेत्र विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक बहुल जिलों का अभिनिर्धारण वर्ष 2007 में सामाजिक–आर्थिक तथा आधारभूत सुविधा संकेतकों के संदर्भ में अल्पसंख्यकों की अच्छी खासी आबादी और पिछड़ेपन के आधार पर किया गया था। इस प्रकार, एमएसडीपी एक विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। एमएसडीपी का उद्देश्य चिन्हित एमसीडी में सामाजिक–आर्थिक स्थिति और मूलभूत सुविधाओं

की उपलब्धता में विकास की कमी को दूर करना है। इसका क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, योजना की ईकाई को जिला के बजाय बदलकर अल्पसंख्यक बहुल ब्लॉक/नगर कर दिया गया है। अब इस कार्यक्रम में 12वीं योजना के दौरान क्रियान्वयन हेतु 196 जिलों में आने वाले 710 ब्लॉकों एवं 66 नगरों को चिन्हित किया गया है। इसके अतिरिक्त, अल्पसंख्यक बहुल गांव के 13 निकटस्थ ग्राम समूह (कम–से–कम 50% अल्पसंख्यक आबादी वाले) पर भी इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए विचार किया जाएगा।

## (v) महिला सशक्तिकरण

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने "अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास" के लिए योजना का कार्यान्वयन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य सभी स्तर पर सरकारी तंत्रों, बैंको एवं अन्य संस्थानों के साथ संपर्क करने हेतु जानकारी, उपकरण एवं विधियां उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को सशक्तिकरण करना तथा उनमें विश्वास जगाना है, ताकि वे घर और समुदाय की दहलीज से बाहर आने में सक्षम हो सकें और नेतृत्व की भूमिका निभा सके तथा सेवाओं, सुविधाओं, कौशलों, और अवसरों के बारे में अपने अधिकारों के लिए सामूहिक रूप में और अलग–अलग प्रयास कर सकें। साथ ही, अपने जीवन और रहन–सहन की दशाओं में सुधार लाने के लिए विकास संबंधी लाभों में अपने उचित हिस्से का दावा कर सकें। वस्तुतः, महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल समानता के लिए आवश्यक है, बल्कि यह गरीबी में कमी लाने, आर्थिक वृद्धि करने और सिविल सोसाइटी को सुदृढ़ करने हेतु लड़ने में भी एक महत्वपूर्ण घटक है। मंत्रालय ने 20.08.2015 को ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली(ओएएमएस) की शुरूआत की है। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया, संवीक्षा, मंजूरी और मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति ऑनलाईन बना दिया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना तथा संगठनों के चयन और पैनल में शामिल किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। इसके अलावा संपूर्ण प्रशिक्षण ब्यौरे सार्वजनिक डोमेन में रखे जाएंगे।

## (vi) राज्य वक्फ बोर्डों और संघ राज्य क्षेत्र के वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना से वक्फ बोर्डों के कार्यों में दक्षता और पारदर्शिता लायी जा सकेगी, जिसके फलस्वरूप राज्य वक्फ बोर्ड अपने औक्फ पर निगरानी रख सकेंगे, परिसंपत्ति संबंधी सूचनाओं और आकड़ों को अद्यतन रख सकेंगे, अतिक्रमण रोक सकेंगे, वक्फ परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर नजर रख सकेंगे, कानूनी वादों को समय से लड़ सकेंगे और रिकार्डों के रख–रखाव और प्रबंधन कार्य को कारगर बना सकेंगे। कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा मंत्रालय के परामर्शन में विकसित किया गया है। केंद्रीय वक्फ़ परिषद को क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

## (vii) राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण

राज्य वक्फ बोर्डों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना स्कीम बनाई गई है ताकि वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ किया जा सके और इसके परिणाम स्वरूप वक्फ संपत्तियों का अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेही प्रशासन और प्रबंधन होगा तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए आय–सृजन में सुधार होगा। इससे उनके प्रवर्तन स्कंध को सुदृढ़ करके वक्फ संपत्तियों से अतिक्रमण को हटाने में उन्हें मदद मिलेगी। केंद्रीय सहायता 12वीं योजना अवधि अर्थात् उस अवधि के दौरान जब राज्य वक्फ बोर्डों के वेशी आय सृजन के साथ आत्मनिर्भन बन जाने की उम्मीद है, के दौरान मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा, ऐसी निधियां कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाएगी जिससे यह सुनिश्चित होगा कि राज्य वक्फ बोर्डों के कार्यचालन और संस्थागत क्षमता से उनके आय सृजन में सुधार हुआ है और वे आत्मनिर्भर हुए हैं। उनकी क्षमताओं में सुधार से उनकी आय वृद्धि में सुधार होगा जिससे बाह्य वित्तीय सहायता पर उनकी निर्भरता कम होती जाएगी और समय के साथ समाप्त हो जाएगी। यह योजना राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लिमिटेड (नावाडको) के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। अतः, केंद्रीय सहायता मंत्रालय द्वारा नावाडको को प्रदान की जाएगी जो बाद में निधियों को राज्य वक्फ बोर्डों को उनके विधि और लेखाा अनुभाग के सुदृढ़ीकरण के साथ–साथ प्रशिक्षण और प्रशासनिक लागतों के लिए जारी की जाएगी। वक्फ संपत्तियों से गैर–कानूनी अतिक्रमण को हटाने के लिए तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु भी सहायता प्रदान की जाएगी।

<u>सुधार कार्य/सुधार के उपाय</u>

वर्तमान योजनाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

**(I) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी);**

(क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अपनी ऋण योजनाएं क्रियान्वित करता है।

(ख) मंत्रालय एनएमडीएफसी के माध्यम से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों (एससीए) उनकी अवसंरचना को सुदृढ़ करने और प्रचालनों के लिए निष्पादन आधारित योजना क्रियान्वित करता है।

(ग) एनएमडीएफसी को आउटरीच को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक चैनलों के रूप में बैंकों के साथ टाई–अप की संभावना की जांच करने का निदेश भी दिया गया है।

(घ) एनएमडीएफसी ने आउटरीच को बढ़ाने के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता का मानदंड भी 6.00 लाख रु0 तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा, सावधि ऋण, लघु वित्त और शैक्षिक ऋण की राशि की मात्रा भी बढ़ाई गई है। सावधि ऋण योजना के अंतर्गत ऋण की मात्रा 10.00 लाख रु0 से बढ़ाकर 30 लाख रु0 कर दी गई है। जबकि लघु वित्त योजना के अंतर्गत इसे स्व–सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए बढ़ाकर 50,000/– रु0 से 1.50 लाख रु0 कर दिया गया है। शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत

ऋण की मात्रा घरेलू पाठ्यक्रमों के लिए 5.00 लाख रु0 से बढ़ाकर 20.00 लाख रु0 और विदेश में पाठ्यक्रमों के लिए 10.00 लाख रु0 से बढ़ाकर 30.00 लाख रु0 कर दी गई है।

(II) **सीखो और कमाओः** मंत्रालय द्वारा कौशल विकास योजना "सीखो और कमाओ" के लिए एक सूचना प्रबंधन प्रणाली(एमआईएस) शुरू की गई है। इस पोर्टल में परियोजना क्रियान्वयन एजेंसियों (पीआईए), प्रशिक्षणार्थियों प्रशिक्षणों के स्थान उनके प्लेसमेंट और प्लेसमेंट पश्चात् ट्रेकिंग को रखा जाता है। इससे कार्यक्रम के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और कारगरता आएगी।

(III) **नई रोशनीः** मंत्रालय ने 20.08.2015 को ऑनलाइन आवेदन प्रबंधन प्रणाली(ओएएमएस) की शुरूआत की है। योजना के क्रियान्वयन के लिए आवेदनों को प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया, संवीक्षा, मंजूरी और मंत्रालय द्वारा निधियों की निर्मुक्ति ऑनलाईन बना दिया गया है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रक्रिया को सरल बनाना तथा संगठनों के चयन और पैनल में शामिल किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना भी है। इसके अलावा संपूर्ण प्रशिक्षण ब्यौरे सार्वजनिक डोमेन में रखे जाएंगे।

**(IV)** मानस ने मानस के माध्यम से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की कौशल विकास के साथ मदरसों/मकतबों/मॉनॉस्ट्रि जैसे अल्पसंख्यकों के परंपरागत शैक्षिक संस्थानों के एकीकरण की एक अभिनव योजना की शुरूआत की है। इस पहल के अंतर्गत मानस स्थानीय क्षेत्रों में मदरसों के विद्यार्थियों और अल्पसंख्यक समुदायों के अन्य सदस्यों को निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मदरसों जैसे अल्पसंख्यकों के परंपरागत शैक्षणिक संस्थाओं में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करता है। चुने गए कौशल सेट कुशल जनशक्ति के लिए स्थानीय बाजार की मांग के आधार पर होते हैं।

**(V) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानीः**

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय स्वंय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी और मूल्यांकन पर विशेष ध्यान देता है, जिसके लिए कार्यक्रमों की निगरानी हेतु व्यापक बहु–चरणीय प्रणाली अपनाई गई है। निगरानी तंत्र की मुख्य विशेषता इस प्रकार हैं :–

क) लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक योजना में निगरानी तंत्र का उल्लेख है।

ख) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनागत स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी, राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन संबंधी वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति का उल्लेख होता है, के माध्यम से की जाती है।

ग) कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा संबद्ध राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों/अभिकरणों/संगठनों के साथ मिल कर की जाती है।

घ) अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नये 15 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक तिमाही में तथा सचिवों की समिति द्वारा 6 माह में की जाती है और उसके बाद केन्द्रीय मंत्रिमंडल को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इस

कार्यक्रम के लिए गठित राज्य और जिला स्तर की समितियां राज्य और जिला स्तर पर प्रगति की निगरानी भी करती हैं।

ङ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) में बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के लिए विस्तृत बहु–स्तरीय निगरानी प्रणाली होती है। बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों की निगरानी जिला समितियों, राज्यों और केन्द्रीय स्तरों से की जाती है।

च) दूसरी और बाद की किश्तें जारी किए जाने से पहले कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों को उपयोग प्रमाण–पत्र, लेखा परिक्षित लेखे और अन्य अपेक्षित रिपोर्टें प्रस्तुत करनी होती है।

छ) मंत्रालय और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट पर बहु–क्षेत्रीय विकास योजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों के फोटोग्राफ और छात्रवृत्ति प्रदत्त छात्रों की सूची को स्थान देकर सामाजिक लेखा परीक्षा को संभव बनाया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वेबसाइट को मंत्रालय की वेबसाइट **(http//www.minorityaffairs.gov.in)** से जोड़ा गया है।

ज) अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक–पूर्व, मैट्रिकोत्तर ओर मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2015–16 से ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन हेतु यूआरएलः **www.scholarships.gov.in** के अंतर्गत एक समर्पित छात्रवृत्ति पोर्टल अर्थात् राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) की शुरूआत की गई है। इसका लिंक इस मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

# अध्याय–IV

## पिछले कार्य–निष्पादन की समीक्षा

**वर्ष 2014–15 का विवरण**

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं0 | योजना/कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (एमएईएफ) को सहायता– अनुदान | 2014-15 | 113 | 113 | 150 गैर–सरकारी संगठनों को ऋण संवितरित करना और छात्राओं को 45,000 छावृत्तियां प्रदान करना। | एमएईएफ की आम सभा ने छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए 45,000 आवेदनों का अनुमोदन किया है। (एमएईएफ द्वारा प्राप्त 1.14 लाख आवेदनों में से) |
| 2. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान) | 2014-15 | 120 | 30.00 | गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 97,000 लाभार्थियों को ₹ 400 करोड़. राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना। | गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 1,08,752 लाभार्थियों को ₹431.20 करोड़ का लघु ऋण/वित्तीय सहायता संवितरित की गई। |
| 3. | एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान | 2014-15 | 2.00 | 2.00 | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी किया जाना। | निष्पादन के आधार पर एससीए को सहायता जारी की गई। |
| 4. | अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना | 2014-15 | 25.00 | 31.48 | 7,000 छात्रों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना। | 8,168 छात्रों को कोचिंग के लिए निधि जारी की गई। |

| (करोड़ ₹ में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम सं0 | योजना/कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि |
| 5. | प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना | 2014-15 | 45.00 | 32.24 | अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी एवं मूल्यांकन कराना। मीडिया अभियान शुरू करना। | मल्टी–मीडिया अभियान चलाया गया है। प्रिंट मीडिया के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रसारण कराया गया। बाह्य प्रचार भी कराया गया था। |
| 6. | व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति | 2014-15 | 335 | 381.27 | 60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर) | 1,38,770 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं (नएः 81,291 और नवीकरणः 57,479) |
| 7. | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 2014-15 | 1100 | 1129.27 | 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)। | 74,96,593 छात्रवृत्तियां (नएः 30,45,596 और नवीकरणः 44,50,997) छात्रवृत्तियां) प्रदान की गईं। |
| 8. | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 2014-15 | 598.50 | 501.28 | 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)। | 9,05,602 लाख छात्रवृत्तियां प्रदान की गई। (नएः 7,99,192 और नवीकरणः 1,06,428) |
| 9. | चुनिन्दा अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। | 2014-15 | 1250 | 768.21 | अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदन करना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु निधियां जारी करना। | 31.3.2015 तक 809.04 करोड़ रु. की परियोजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदित मदों में इंदिरा आवास योजना मकान आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं। |

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं0 | योजना/कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | 2014-15 | 50.00 | 0.12 | 756 नई अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)। | विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 4532 अध्येतावृत्तियां प्रदान की गई। |
| 11. | राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण | 2014-15 | 3.00 | 3.00 | वामसी पंजीकरण मॉड्यूल में 4.90 लाख वक्फ संपत्तियों की डेटा प्रविष्टि | 30.11.2014 तक 3,51,862 वक्फ संपत्तियों की वमसी पंजीकरण मॉड्यूल में प्रविष्टि की गई है। |
| 12. | अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना | 2014-15 | 14.00 | 13.99 | 40,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाना। | 71,075 महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 24 राज्यों को निधियां जारी की गई। |
| 13. | अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता | 2014-15 | 4.00 | 3.50 | 100 विद्यार्थी | 573 विद्यार्थी |
| 14. | लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना | 2014-15 | 2.00 | 0.50 | निर्धारण नहीं किया गया। | पक्ष समर्थन एवं चिकित्सा सहायता शुरू की गई। |
| 15 | राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण | 2014-15 | 7.00 | 3.90 | 15 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना। | 15 राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता अनुदान जारी किया गया है। |
| 16 | कौशल विकास पहल | 2014-15 | 46.23 | 46.21 | 20,000 अल्पसंख्यक युवा | 20,720 अल्पसंख्यक युवा |
| 17 | यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता। | 2014-15 | 4.00 | 2.96 | 800 अभ्यर्थी | 786 अभ्यर्थी |
| 18 | सचिवालय | 2014-15 | 1.50 | 0.88 | मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना। | प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया। |

| (करोड़ ₹ में) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं0** | **योजना/कार्यक्रम** | **वर्ष** | **वित्तीय लक्ष्य** | **वित्तीय उपलब्धि** | **वास्तविक लक्ष्य** | **वास्तविक उपलब्धि** |
| 19 | राज्य और संघ राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान (गैर–योजनागत) | 2014-15 | 3.15 | 2.74 | अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करना ताकि कल्याण से जुड़े क्रियाकलापों में वृद्धि की जा सके। | वक्फ संपत्तियों के विकास से संबंधित 7 परियोजनाओं के लिए सीडब्लूसी के माध्यम से ऋण स्वीकृत। |
| 20 | केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत) | 2014-15 | 0.03 | 0.00 | केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना। | सीडब्लूसी की पुनर्संरचना का अध्ययन पूरा होने के पश्चात् योजना बनाई जाएगी। जिसके लिए चयनित एजेंसियों से बोलियां आमंत्रित की जाएगी। |

## वर्ष 2015–16 का विवरण

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं0 | योजना/कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि (31.12.15 तक) | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि (31.12.15 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता– अनुदान | 2015-16 | 113 | 113 | 150 गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान और छात्राओं को 50,000 छावृत्तियां वितरित करना। | 41 एनजीओ को 4.68 करोड़ रु. संस्वीकृत। छात्रवृत्ति के लिए चयन प्रक्रियाधीन है। |
| 2. | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (इक्विटी में अंशदान) | 2015-16 | 120 | 120 | गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 75,000 लाभार्थियों को ₹ 450 करोड़ राशि का सावधि और लघु ऋण संवितरित करना। | गैर–सरकारी संगठनों/राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से 62087 लाभार्थियों को ₹ 320.04 करोड़ का लघु ऋण/वित्तीय सहायता वितरित किए गए थे। |
| 3. | एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान | 2015-16 | 2.00 | 1.75 | राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान जारी करना। | निष्पादन के आधार पर 17 एससीए को जारी किया गया। |
| 4. | अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना | 2015-16 | 45.00 | 35.81 | 7000 छात्रों को कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना। | 13987 छात्रों को कोचिंग के लिए निधियां जारी की गई। |
| 5. | प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना | 2015-16 | 45.25 | 34.63 | मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों से संबंधित मीडिया अभियान चलाना और अनुसंधान/अध्ययन कराना। | प्रिंट मीडिया के माध्यम से योजनाओं का प्रचार किया गया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी प्रसारण कराया गया। बाह्य प्रचार भी कराया गया था। |
| 6. | व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति | 2015-16 | 335 | 35.85 | 60,000 छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना। (नवीकरण छोड़कर) | 13229 छात्रवृत्तियां (नवीकरण) |

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं0 | योजना/कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि (31.12.15 तक) | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि (31.12.15 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 2015-16 | 1040.10 | 0.77 | 30 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)। | |
| 8. | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति | 2015-16 | 580.10 | 0.53 | 5 लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर)। | 34 छात्रवृत्तियां प्रदान की गईं। |
| 9. | अल्पसंख्यक बहुल चुनिन्दा जिलों में अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम। | 2015-16 | 1251.64 घटाएं कौशल विकास पहलों के लिए पुनर्विनियोजित 125 करोड़ रुपये | 842.71 | अल्पसंख्यक बहुल शेष जिलों से संबंधित जिला योजनाओं को अनुमोदन करना और पहले से अनुमोदित परियोजनाओं को पूरा किए जाने हेतु निधियां जारी करना। | 31.12.2015 तक 762.72 करोड़ रु. की परियोजनाओं का अनुमोदन। अनुमोदित मदों में इंदिरा आवास योजना मकान, आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए अवसंरचना, जल आपूर्ति परियोजनाएं, अतिरिक्त कक्षा–कक्ष, स्कूल भवन, बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास, औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), पोलीटेक्नीक आदि शामिल हैं। |
| 10 | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | 2015-16 | 49.83 | 49.74 | 756 नई अध्येतावृतियां प्रदान किया जाना (नवीकरण छोड़कर) | 2015–16 के लिए चयन 31.12.2015 तक यूजीसी के साथ प्रक्रियाधीन है। |
| 11. | राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण | 2015-16 | 3.00 | 0.00 | वामसी पंजीकरण मॉड्यूल में 4.90 लाख वक्फ संपत्तियों की डेटा प्रविष्टि | 31.12.2015 तक 4,24,993 वक्फ संपत्तियों की वामसी पंजीकरण मॉड्यूल में प्रविष्टि की गई है। |
| 12. | अल्पसंख्यक समुदाय से संबद्ध छात्रों के लिए विदेशों में अध्ययन संबंधी योजना हेतु शैक्षिक ऋणों पर ब्याज सहायता | 2015-16 | 4.19 | 4.00 | 100 छात्र | 770 अभ्यार्थियों को ब्याज सहायता दी गई है। |

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं0 | योजना/कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि (31.12.15 तक) | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि (31.12.15 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | लघु अल्पसंख्यक समुदाय की घटती आबादी को रोकने की योजना | 2015-16 | 2.00 | 1.18 | अभी निर्धारण किया जाना है। | पक्षसमर्थन और चिकित्सा सहायता को लिया गया। |
| 14 | राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण | 2015-16 | 6.70 | 3.00 | 30 राज्य वक्फ बोर्डों को कवर किया जाना है। | 27 राज्य वक्फ बोर्डों को सहायता अनुदान जारी किया गया है। |
| 15 | कौशल विकास पहल | 2015-16 | 67.45 करोड़ रु. जमा एमएसडीपी से से पुनर्विनियोजित 125.00 करोड़ की अतिरिक्त निधियां | 143.43 | 25,000 अल्पसंख्यक युवा (1,13,000 अल्पसंख्यक युवाओं के लक्ष्य को संशोधित) | 92,330 अल्पसंख्यक युवा |
| 16 | यूपीएससी, एसएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों आदि द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक परीक्षाएं उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता। | 2015-16 | 4.00 | 3.56 | 800 अभ्यर्थी | 988 अभ्यर्थियों को 3.56 करोड़ रु0 की वित्तीय सहायता दी गई थी। |
| 17 | सचिवालय | 2015-16 | 1.49 | 0.38 | मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना। | प्रावधान का उपयोग मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए किया गया। |
| 18 | राज्य और संघ राज्य वक्फ़ बोर्डों को सहायता अनुदान (गैर–योजनागत) | 2015-16 | 3.15 | 2.51 | कल्याण क्रियाकलापों को बढ़ाने के उद्देश्य से अधिक आय सृजित करने के लिए शहरी वक्फ परिसंपत्तियों को वाणिज्यिक स्तर पर विकसित करना। | 5 वक्फ संस्थानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए 2.51 करोड़ रु. सीडब्लूसी का सहायता अनुदान। |

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं0 | योजना / कार्यक्रम | वर्ष | वित्तीय लक्ष्य | वित्तीय उपलब्धि (31.12.15 तक) | वास्तविक लक्ष्य | वास्तविक उपलब्धि (31.12.15 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान (गैर–योजनागत) | 2015-16 | 0.03 | 0.00 | केन्द्रीय वक्फ परिषद को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना। | यह योजना पुनर्गठन अध्ययन पूरा होने के पश्चात तैयार की जाएगी जिसके लिए चयनित एजेंसियों से बोलियों आमंत्रित की जाएगी। |
| 20 | नई मंजिल | 2015-16 | 0.02 | | 2015–16 में प्रारंभ | |

# अध्याय–V
# वित्तीय समीक्षा
## अध्याय–V (क)
### वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2015–16 हेतु बजट अनुमान तथा संशोधित अनुमान और वर्ष 2016–17 का बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं. | योजना का नाम | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान (2015–16) | | | संशोधित अनुमान (2015–16) | | | बजट अनुमान (2016–17) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल |
| | **राजस्व खंड** | | | | | | | | | | |
| 1 | सचिवालय | 2251 | 1.49 | 11.50 | 12.99 | 1.45 | 11.88 | 13.33 | 0.00 | 13.59 | 13.59 |
| 2 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग | 2225 | 0.00 | 7.56 | 7.56 | 0.00 | 6.71 | 6.71 | 0.00 | 7.66 | 7.66 |
| 3 | भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी | 2225 | 0.00 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 2.82 | 2.82 |
| 4 | वक्फ को सहायता–अनुदान | 2235 | 0.00 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 3.15 | 3.15 |
| 5 | केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान | 2235 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 6 | मौलाना आजाद शिक्षा प्रति-ठान को सहायता– अनुदान | 2225 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 113.00 |
| 7 | अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना | 2225 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 8 | प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना | 2235 (प्रचार) | 39.75 | 0.00 | 39.75 | 39.75 | 0.00 | 39.75 | 41.00 | 0.00 | 41.00 |
| | | 2235 (पीएस) | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| | | 2552 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | **योग** | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 45.25 | 0.00 | 45.25 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |

| क्रम सं. | योजना का नाम | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान (2015–16) | | | संशोधित अनुमान (2015–16) | | | बजट अनुमान (2016–17) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल |
| 9 | एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान | 2225 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| | | 2552 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| | | **योग** | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 10 | अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति | 2225 | 44.85 | 0.00 | 44.85 | 50.30 | 0.00 | 50.30 | 75.00 | 0.00 | 75.00 |
| | | 2552 | 4.98 | 0.00 | 4.98 | 5.29 | 0.00 | 5.29 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | **योग** | 49.83 | 0.00 | 49.83 | 55.59 | 0.00 | 55.59 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 11 | राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण | 2235 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| | | 2552 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
| | | **योग** | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 0.00 | 3.30 |
| 12 | अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व–क्षमता विकास की योजना | 2235 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 13.50 | 0.00 | 13.50 |
| | | 2552 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
| | | **योग** | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 13 | विदेशों में अध्ययन के लिए शैक्षिक ऋणों पर ब्याज इमदाद | 2235 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | 4.19 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 14 | लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना | 2235 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण | 2225 | 6.08 | 0.00 | 6.08 | 4.08 | 0.00 | 4.08 | 9.20 | 0.00 | 9.20 |
| | | 2552 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| | | **योग** | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 4.70 | 0.00 | 4.70 | 9.70 | 0.00 | 9.70 |

| क्रम सं. | योजना का नाम | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान (2015–16) | | | संशोधित अनुमान (2015–16) | | | बजट अनुमान (2016–17) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल |
| 16 | कौशल विकास पहल | 2225 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 |
| | | 2235 | 64.22 | 0.00 | 64.22 | 176.73 | 0.00 | 176.73 | 194.77 | 0.00 | 194.77 |
| | | 2552 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 15.51 | 0.00 | 15.51 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| | | **योग** | 67.45 | 0.00 | 67.45 | 192.47 | 0.00 | 192.47 | 210.00 | 0.00 | 210.00 |
| 17 | संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता | 2225 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 |
| | | 2552 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| | | **योग** | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 18 | व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति। | 2225 | 309.10 | 0.00 | 309.10 | 309.10 | 0.00 | 309.10 | 311.10 | 0.00 | 311.10 |
| | | 3601 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 3.80 | 0.00 | 3.80 |
| | | 3602 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| | | 2552 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| | | **योग** | 335.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 |
| 19 | अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 2225 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 7.64 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
| | | 3601 | 1104.25 | 0.00 | 1104.25 | 991.75 | 0.00 | 991.75 | 991.75 | 0.00 | 991.75 |
| | | 3602 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 11.50 | 0.00 | 11.50 |
| | | 2552 | 127.75 | 0.00 | 127.75 | 115.25 | 0.00 | 115.25 | 115.25 | 0.00 | 115.25 |
| | | **योग** | 1251.64 | 0.00 | 1251.64 | 1126.64 | 0.00 | 1126.64 | 1125.00 | 0.00 | 1125.00 |
| 20 | अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्तियां | 2225 | 979.97 | 0.00 | 979.97 | 979.97 | 0.00 | 979.97 | 880.47 | 0.00 | 880.47 |
| | | 3601 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| | | 3602 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| | | 2552 | 50.10 | 0.00 | 50.10 | 50.10 | 0.00 | 50.10 | 41.50 | 0.00 | 41.50 |
| | | **योग** | 1040.10 | 0.00 | 1040.10 | 1040.10 | 0.00 | 1040.10 | 931.00 | 0.00 | 931.00 |

| क्रम सं. | योजना का नाम | मुख्य शीर्ष | बजट अनुमान (2015–16) | | | संशोधित अनुमान (2015–16) | | | बजट अनुमान (2016–17) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल | योजनागत | गैर–योजनागत | कुल |
| 21 | अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | 2225 | 541.18 | 0.00 | 541.18 | 541.18 | 0.00 | 541.18 | 514.98 | 0.00 | 514.98 |
| | | 3601 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | 8.80 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| | | 3602 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| | | 2552 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | 30.10 | 0.00 | 30.10 | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| | | | 580.10 | 0.00 | 580.10 | 580.10 | 0.00 | 580.10 | 550.00 | 0.00 | 550.00 |
| 22 | मौलाना आजाद मेडिकल सहायता | 2225 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) | 2235 | 17.01 | 0.00 | 17.01 | 17.01 | 0.00 | 17.01 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 24 | हमारी धरोहर | 2225 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 10.01 | 0.00 | 10.01 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 25 | नई मंजिल | 2225 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 155.00 | 0.00 | 155.00 |
| | **योग (राजस्व खंड)** | | **3592.78** | **25.33** | **3618.11** | **3592.78** | **23.20** | **3615.98** | **3660.00** | **27.25** | **3687.25** |
| | **पूंजीगत खंड** | | | | | | | | | | |
| 26 | राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम | 4225 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 126.00 | 0.00 | 126.00 |
| | | 4552 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 |
| | **योग (राजस्व खंड)** | | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
| | **(कुल योग) (राजस्व + पूंजीगत खंड)** | | **3712.78** | **25.33** | **3738.11** | **3712.78** | **23.20** | **3735.98** | **3800.00** | **27.25** | **3827.25** |

# वित्तीय समीक्षा

# अध्याय V(ख)

## वित्तीय समीक्षा – वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए परिव्यय सहित पिछले 3 वर्षों के दौरान परिव्यय तथा वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत) | 2013–14 के लिए परिव्यय | वास्तविक व्यय (2013–14) | 2014–15 के लिए परिव्यय | वास्तविक व्यय (2014–15) | 2015–16 के लिए परिव्यय | वास्तविक व्यय 2015–16 (31.12.2015 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **गैर–योजनागत** | | | | | | |
| 1 | सचिवालय–सामाजिक सेवा | 9.60 | 10.33 | 10.84 | 10.31 | 11.50 | 8.99 |
| 2 | अन्य सामाजिक सेवाएं | | | | | | |
| | i) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) | 5.63 | 4.92 | 7.30 | 6.70 | 7.56 | 4.60 |
| | ii) भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी (सीएलएम) | 1.54 | 1.33 | 1.69 | 1.74 | 3.09 | 1.48 |
| 3 | i) वक्फ को सहायता–अनुदान | 3.18 | 2.68 | 3.15 | 2.75 | 3.15 | 2.52 |
| | ii) केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता–अनुदान | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | - |
| | **योग** | **19.70** | **16.31** | **23.01** | **21.50** | **25.33** | **17.59** |

(करोड़ ₹ में)

| क्रम सं. | योजना/कार्यक्रम का नाम (स्वीकृत, राजस्व/पूंजीगत) | परिव्यय (2013–14) | वास्तविक व्यय (2013–14) | परिव्यय (2014–15) | वास्तविक व्यय (2014–15) | परिव्यय (2015–16) | वास्तविक व्यय 2015–16 (31.12.2015 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **योजनागत** | | | | | | |
| क | **केन्द्रीय क्षेत्र की योजना (सी एस)** | | | | | | |
| 1 | मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान को सहायता–अनुदान | 160.00 | 160.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
| 2 | अल्पसंख्यकों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं संबद्ध योजना | 25.00 | 23.68 | 25.00 | 31.49 | 45.00 | 35.81 |
| 3 | एनएमडीएफसी की इक्विटी में अंशदान | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 30.00 | 120.00 | 120.00 |
| 4 | प्रचार सहित अल्पसंख्यकों के लिए विकास योजनाओं के अनुसंधान/अध्ययन, निगरानी और मूल्यांकन की योजना | 45.00 | 42.42 | 5.00 | 32.24 | 45.25 | 33.91 |
| 5 | एनएमडीएफसी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसियों को सहायता–अनुदान | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.75 |
| 6 | अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास की योजना | 15.00 | 11.95 | 14.00 | 13.99 | 15.00 | 10.67 |
| 7 | अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय अध्यतावृत्ति | 90.00 | 50.02 | 50.00 | 0.12 | 49.83 | 49.76 |
| 8 | राज्य वक्फ बोर्डों के अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण | 3.00 | 2.98 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - |
| 9 | विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण ब्याज सब्सिडी की योजना | *2.00* | 0.00 | 4.00 | 3.50 | 4.19 | 4.00 |

| | | | | | | | (करोड़ ₹ में) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **क्रम सं.** | **योजना/कार्यक्रम का नाम** | **परिव्यय (2013–14)** | **वास्तविक व्यय (2013–14)** | **परिव्यय (2014–15)** | **वास्तविक व्यय (2014–15)** | **परिव्यय (2015–16)** | **वास्तविक व्यय 2015–16 (31.12. 2015 तक)** |
| 10 | लघु अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी में गिरावट को नियंत्रित करने की योजना | 2.00 | 0.41 | 2.00 | 050 | 2.00 | 1.18 |
| 11 | कौशल विकास पहल | 17.00 | 16.99 | 35.00 | 46.21 | 192.45 | 143.43 |
| 12 | संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, राज्य लोक सेवा आयोगों इत्यादि द्वारा आयोजित प्रारांभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को सहायता | 3.00 | 1.95 | 4.00 | 2.96 | 4.00 | 3.56 |
| 13 | राज्य वक्फ बोर्डों का सुदृढ़ीकरण | 7.00 | 1.91 | 7.00 | 3.95 | 6.70 | 4.66 |
| 14 | मौलाना आजाद चिकित्सा सहायता योजना | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.01 | - |
| 15 | विकास हेतु पारंपरिक कलाओं/शिल्पों में कौशल तथा प्रशिक्षण का उन्नयन (उस्ताद) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 17.01 | 14.36 |
| 16 | व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट–सह–साधन आधारित छात्रवृत्ति | 270.00 | 259.90 | 335.00 | 381.38 | 335.00 | 35.85 |
| 17 | अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्तियां | 950.00 | 963.00 | 1100.00 | 1128.84 | 1040.10 | 0.77 |
| 18 | अल्पसंख्यकों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां | 548.50 | 515.67 | 598.50 | 501.32 | 580.10 | 0.53 |
| 19 | हमारी धरोहर | -- | -- | - | 4.97 | 10.01 | 8.01 |
| | **उप–योग - (सीएस))=** | **2259.50** | **2052.88** | **2459.50** | **2299.91** | **2584.65** | **581.25** |
| **ख** | **केन्द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)** | | | | | | |
| 1 | अल्पसंख्यकों के लिए बहु–क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम | 1250.00 | 953.48 | 1250.00 | 768.20 | 1126.64 | 838.96 |
| | **उप–योग (सीएसएस)** | **1250.00** | **953.48** | **1250.00** | **768.20** | **1126.64** | **838.96** |
| **ग** | सचिवालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय सेवा | 1.50 | 1.13 | 1.50 | 0.88 | 1.49 | 0.38 |
| | **कुल योग (क + ग) =** | **3511** | **3007.49** | **3711** | **3069.01** | **3712.78** | **1420.49** |

# अध्याय–V (ग)

## वर्ष 2014–15 और 2015–16 के बजट अनुमानों/संशोधित अनुमानों की तुलना में व्यय संबंधी प्रवृत्ति का विश्लेषण

वर्ष 2014-15

(करोड़ ₹ में)

| | बजट अनुमान 2014-15 | संशोधित अनुमान 2014–15 | वास्तविक व्यय 2014–15 | बजट अनुमान के व्यय का % | संषोधित अनुमान के व्यय का % |
|---|---|---|---|---|---|
| **योजनागत में से** | 3711.00 | 3140.00 | 3069.01 | 82.70 | 97.74 |
| राजस्व | | | | | |
| पूंजीगत | 3591.00 | 3110.00 | 3039.01 | 84.63 | 97.72 |
| **गैर-योजनागत में से** | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 100 |
| राजस्व | 23.01 | 25.00 | 21.50 | 93.44 | 86.00 |
| पूंजीगत | - | - | - | - | - |
| **कुल (योजनागत और गैर-योजनागत में से)** | 3734.01 | 3165.00 | 3090.51 | 82.77 | 97.65 |
| राजस्व | 3614.01 | 3135.00 | 3060.51 | 84.68 | 97.62 |
| पूंजीगत | 120.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 100.00 |

वर्ष 2015-16

(करोड़ ₹ में)

| | बजट अनुमान 2015-16 | संशोधित अनुमान 2015–16 | वास्तविक व्यय (31.12.2015 तक) | बजट अनुमान के व्यय का % | संशोधित अनुमान के व्यय का % |
|---|---|---|---|---|---|
| **योजनागत में से** | 3712.78 | 3712.78 | 1420.49 | 38.26 | 38.26 |
| राजस्व | 3592.78 | 3592.78 | 1300.49 | 36.20 | 36.20 |
| पूंजीगत | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 |
| **गैर-योजनागत में से** | 25.33 | 23.20 | 17.59 | 69.44 | 75.82 |
| राजस्व | 25.33 | 23.20 | 17.59 | 69.44 | 75.82 |
| पूंजीगत | - | - | - | - | - |
| **कुल (योजनागत और गैर-योजनागत में से)** | 3738.11 | 3735.98 | 1438.08 | 38.47 | 38.49 |
| राजस्व | 3618.11 | 3615.98 | 1318.08 | 36.43 | 36.43 |
| पूंजीगत | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 |

# अध्याय–V (घ)

**राज्यों और कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों के पास दिनांक 01.04.2015 और 31.12.2015 की स्थिति के अनुसार शेष बची राशि तथा उनके द्वारा देय उपयोग प्रमाण–पत्र की स्थिति**

(करोड़ ₹ में)

| 01.04.2015 के अनुसार लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की संख्या | 01.04.2015 के अनुसार लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की राशि | 01.04.2015 के अनुसार शेष बची राशि | 31.12.2015 के अनुसार लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की संख्या | 31.12.2015 के अनुसार लम्बित उपयोग प्रमाण–पत्रों की राशि | 31.12.2015 के अनुसार शेष बची राशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **1723** | **2978.22** | **3513.41** | **1395** | **1682.53** | **2442.66** |

# अध्याय–VI

## मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सांविधिक और स्वायत्त निकायों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा

(1) **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी):** एनएमडीएफसी कंपनी अधिनियम की धारा–25 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है जिसका उद्देश्य अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्ग में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है। यह कंपनी अल्पसंख्यक समुदाय के उन पात्र लाभार्थियों को स्व–रोजगार से जुड़े क्रियाकलापों के लिए रियायती दर पर वित्त उपलब्ध कराती है जिनके परिवार की आय गरीबी रेखा से दुगुना नीचे है। एनएमडीएफसी ने भारत सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जिसके तहत वित्तीय और वास्तविक दोनों लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उपलब्धियों में हुई प्रगति की निगरानी त्रैमासिक समीक्षाओं के माध्यम से की जाती है।

(2) **मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठानः**

मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वैच्छिक, गैर–लाभ अर्जक सोसाइटी है। यह शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा को बढावा देता है। प्रतिष्ठान की दो मुख्य योजनाएं हैं– स्कूलों भवनों के विस्तार/उन्नयन, छात्रावासों के निर्माण, प्रयोगशाला उपकरणों की खरीद आदि के लिए गैर–सरकारी संगठनों को सहायता–अनुदान तथा शैक्षिक अवसंरचना का विकास और अल्पसंख्यक समुदायों की मेधावी छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की योजना।

(3) **केंद्रीय वक्फ परिषदः** देश में औकाफ के समुचित संचालन और राज्य वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली से जुड़े मुददों पर भारत सरकार को सलाह देने के मुख्य उद्देश्य से वक्फ अधिनियम, 1954 (अब वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा–9 की उपधारा–1 के रूप में पठित) की धारा 8क के उपबंधों के तहत भारत सरकार द्वारा 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की सांविधिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। परिषद का एक अध्यक्ष है, जो औकाफ प्रभारी केंद्रीय मंत्री हैं। परिषद में वक्फ अधिनियम में यथा उल्लिखित विभिन्न श्रेणियों से 20 अन्य सदस्य हैं। वर्तमान परिषद का गठन दिनांक 12.05.2011 को पांच वर्षों की अवधि के लिए किया गया था। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के पश्चात परिषद को अपनी पूर्ववर्ती परामर्शी भूमिका से विनियामक भूमिका मिल गई है।

औकाफ और औकाफ बोर्डों की वित्तीय स्थिति को बेहतर करने के उद्देश्य से और उनके कल्याण क्रियाकलापों के क्षेत्र को विस्तृत करने हेतु केंद्र सरकार 1974–75 से शहरी वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए देश के वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों को अग्रिम वित्तीय सहायता के विशिष्ट उद्देश्य से केन्द्रीय वक्फ परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करती आ रही है।

परिषद इस मंत्रालय की राज्य और संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण की योजना क्रियान्वित कर रहा है।

**(4) दरगाह ख्वाजा साहेब, अजमेरः** राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह एक विश्व प्रसिद्ध वक्फ है। दरगाह ख्वाजा साहेब अधिनियम, 1955 में दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती (आर.ए.) को प्राप्त धर्मार्थ दान के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन की व्यवस्था है। इस केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत, दरगाह के धर्मार्थ निधि के प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन दरगाह समिति के रूप में जानी वाली एक प्रतिनिधि समिति में निहित है। नाजिम प्रबंधन समिति का सीईओ है, जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है।

**(5) राष्ट्रीय वक्फ़ विकास निगम (नावाडको):** भारत में विश्व के सबसे बड़ी वक्फ भूमि है। सच्चर समिति रिपोर्ट, 2006 द्वारा किए गए आकलन के अनुसार, लगभग 4.9 लाख पंजीकृत वक्फ संपत्तियां हैं, जिसमें लगभग 6 लाख एकड़ भूमि शामिल है, इन संपत्तियों का अनुमानित बाजार मूल्य 1.20 लाख करोड़ रु0 है। चूंकि अधिकांश संपत्तियां प्रमुख शहरी स्थानों में अवस्थित हैं, अतः यदि इनका समुचित रूप से विकास किया जाए तो इससे 12,000 करोड़ रु0 की वार्षिक आय सृजित होने की संभावना है।

विकास की कमी के अंतर को पूरा करने के लिए, राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम लि0 (नावाडको) की स्थापना भारत में बहुमूल्य वक्फ संपत्तियों को विकसित करने और वक्फ बोर्डों/वक्फ संस्थानों की आय को बढ़ाने के लिए विशिष्ट अधिदेश के साथ कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2013 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। नावाडको की प्राधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रु0 है और प्रदत्त पूंजी 100 करोड़ रु0 है, जिसका शेयर धारिता स्वरूप निम्नानुसार हैं:—

| | |
|---|---|
| राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) | 49% |
| केंद्रीय वक्फ परिषद (सीडब्ल्यूसी) | 9% |
| वक्फ संस्थान और/अथवा निकाय कॉर्परेटों सहित जनता | 42% |

नावाडको ने बिहार, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में विकास के लिए 67 व्यावसायिक रूप में संभावित संपत्तियों को चिन्हित किया है। उनमें से चार (4) संपत्तियों की संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।

नावाडको ने संभाव्यता रिपोर्टें, डीपीआर तैयार करने और वक्फ संपत्तियों को विकसित करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम एनबीसीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के "राज्य वक्फ बोर्डों को सुदृढ़ करने की योजना" कंपनी द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

**(6) आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यकः** राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 1956 के परिणामस्वरूप, संविधान के अनुच्छेद 350—ख के प्रावधानों के अनुसरण में आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक (सीएलएम) के कार्यालय का गठन जुलाई, 1957 में हुआ था। अनुच्छेद 350—ख के अनुसार आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक का यह कर्तव्य होगा कि वे भारत में संविधान के अंतर्गत भाषाजात अल्पसंख्यकों को प्रदत्त रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच करें और ऐसे अंतराल पर राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें जैसा कि राष्ट्रपति निर्देश दें और

राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन में रखवाएंगे और इन्हें संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सरकारों/प्रशासनों को भी भिजवाएंगे। आयुक्त भाषायी अल्पसंख्यक, भाषाजात अल्पसंख्यकों से संबंधित संवैधानिक उपबंधों और राष्ट्रीय स्तर पर तय रक्षोपायों के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से संपर्क करते हैं। आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक की जुलाई, 2011 से जून, 2012 की अवधि के लिए 49वीं रिपोर्ट लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर क्रमशः 22–08–2013 और 19–08–2013 को रखी गई थी।

**(7) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम):** प्रथम सांविधिक आयोग का गठन 17 मई 1993 को किया गया था। भारत सरकार ने 23 अक्तूबर, 1993 और 27 जनवरी, 2014 की अधिसूचनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (ग) के तहत छह धार्मिक समुदायों अर्थात मुस्लिमों, ईसाईयों, सिक्खों, बौद्धों, पारसियों तथा जेनों को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया था।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 3(2) के अनुसार, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और ख्यातिप्राप्त तथा योग्य और सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तियों में से केन्द्र सरकार द्वारा नामित पांच सदस्य होंगे, परन्तु अध्यक्ष सहित सभी 5 सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 4(1) के अनुसार अध्यक्ष सहित सभी सदस्य कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे।

आयोग का मुख्य कार्य अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए संविधान में उपबंधित और केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा अधिनियमित विधियों में दिए गए रक्षोपायों के कार्यकरण को मॉनीटर करना और अल्पसंख्यकों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के संबंध में प्राप्त विशेष शिकायतों की जांच करना है। यह आयोग अल्पसंख्यक वर्ग के सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक विकास से संबंधित मुद्दों पर अध्ययन, अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है और अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षोपायों के प्रभावी कार्यान्वयन की अनुशंसा भी करता है।

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने सांविधिक राज्य अल्पसंख्यक आयोगों का गठन कर लिया है। पंजाब और केरल की राज्य सरकारों ने असांविधिक आयोग का गठन किया है। मंत्रालय ने शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से इन आयोगों का गठन करने का भी अनुरोध किया है।

*******